वीर शहीद केसरी चन्द राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर (विकासनगर), देहरादून

(NAAC-B^{++})

महाविद्यालय : एक परिचय

पतितपावनी यमुना नदी तट पर अवस्थित ऊर्जानगरी डाकपत्थर में सम्पूर्ण पछवादून व जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र की उच्च शिक्षा की पूर्ति हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अक्टूबर 1993 में की गयी। सन् 1994–95 से वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0कॉम0 प्रथम वर्ष की कक्षा में 54 छात्र/छात्राओं व एक प्रध्यापक से इस संस्था का शुभारम्भ हुआ। सन् 2001–2002 में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, बनस्पति विज्ञान व गणित विषयों तथा कला संकायान्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र की कक्षायें प्रारम्भ की गयीं। वर्ष 2005 से एम0कॉम0 की कक्षायें प्रारंभ हुईं।

महाविद्यालय का अपना भवन न होने के कारण आरम्भ में यह महाविद्यालय डाकपत्थर बस्ती व संचार खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में संचालित किया गया। अब इस भवन में सिर्फ व्यावसायिक पाठयक्रमों का ही संचालन हो रहा है। महाविद्यालय का स्थायी भवन लोअर लखवाड़ डाकपत्थर स्थित अपनी 16 एकड़ भूमि पर वर्ष 2008 में बनकर तैयार हुआ। सत्र 2008–09 से इसमें तीनों संकायों वाणिज्य, विज्ञान व कला का संचालन हो रहा है।

महाविद्यालय सीमित संसाधनों के बाबजूद अपने सम्पूर्ण पछुवादून क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। इसके अन्तर्गत सत्र 2006–07 से दो व्यावसायिक पाठयक्रमों क्रमशः पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन्स तथा पी0जी0डिप्लोमा इन योगिक साइंस का संचालन हो रहा है। सत्र 2008–09 से कला संकाय में अध्ययन हेतु अर्थशास्त्र व गृह विज्ञान विषय भी उपलब्ध हैं। इसी सत्र से तीन और व्यावसायिक पाठयक्रम, पी0जी0 डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन, बी0बी0ए0 तथा बी0एड0 का भी संचालन हो रहा है।

1.शैक्षणिक कैलेण्डर 2022–23 :–

2. सम्बद्धता :–

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक यू0ओ0सं0–02/XXIV(7)/2017 उच्च शिक्षा अनुभाग–देहरादून दिनांक 10 अगस्त 2019 तथा निदेशक उच्च शिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान/38–40/2018–19 दिनांक 04 अप्रैल 2018 द्वारा महाविद्यालय को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त हुई थी। श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस राजकीय महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं कला संकाय में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुशासन हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशालय द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/आदेश/निर्देश प्रभावी होते हैं। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुशासन हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशालय द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/आदेश/निर्देश प्रभावी होते है।

विज्ञान संकाय/कला संकाय/वाणिज्य संकाय

(A) स्नातक स्तर पर प्रवेश नियम :–

3. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सामान्य नियम एवं निर्देश :–

- महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन : **महाविद्यालय कि वेबसाईट** (www.gdcdakpathar.com) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। सभी प्रविष्टियों की पूर्ति के पश्चात् आवेदन–पत्र को निर्धारित तिथि तक पंजीकरण शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करेंगे। संलग्नकों के अभाव में आवेदन–पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाहियों की जानकारी हेतु महाविद्यालय का सूचना पट्ट देखते रहें।

- प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों को अवश्य संलग्न करें। प्रमाण–पत्रों के अभाव में आवेदन पर विचार सम्भव नहीं होगा।

  (अ) प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अन्तिम संस्था, जहां से अन्तिम संस्थागत परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे। व्यक्तिगत विद्याार्थी के रूप में रह चुके अभ्यर्थी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

  (ब) विगत समस्त परीक्षाओं के अंक–पत्रों एवं प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होंगी तथा इन सभी के मूल प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने होंगे ताकि अंक–पत्रों तथा प्रमाण–पत्रों की फोटोप्रतियों का सत्यापन किया जा सके।

  (स) आयु प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(द) पासपोर्ट आकार के नवीनतम तीन रंगीन फोटो नत्थी करने होंगे।

(य) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ ही मान्य होगा तथा इसी के आधार पर वे उक्त जातियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

(र) खेलकूद तथा अन्य पाठ्येतर क्रिया–कलाप सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करनी होंगी।

- प्रवेश हेतु स्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय सूचनापट्ट एवं वेबसाइट पर लगा दी जाएगी। ऐसे छात्र ऑनलाइन शुल्क जमा करके रसीद पर अंकित विषयों के प्राध्यापकों से रसीद पर हस्ताक्षर प्राप्त कर कक्षाओं में पंजीकरण करायेंगे। नियत तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश–संस्तुति स्वतः निरस्त हो जाएगी।

- स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश रिक्तस्थानों की उपलब्धता के दृष्टिगत योग्यता क्रम में दिया जाएगा।

- प्राचार्य किसी भी प्रवेश आवेदन–पत्र को बिना कारण बताए अस्वीकृत कर सकते हैं।

- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को योग्यता (मेरिट) के आधार पर महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

- मिथ्या, भ्रामक एवं अपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र–छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। यदि त्रुटिवश या गलत तथ्यों के आधार पर किसी छात्र–छात्रा को प्रवेश मिल गया हो, तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर इस अनियमित प्रवेश को निरस्त किया जा सकेगा।

- यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता न होते हुए भी प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो जाँच के उपरान्त उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाणपत्र जाली पाए जाते हैं तो उसका प्रवेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रवेश समिति की संस्तुति पर प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

- महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक् पालन करना होगा। वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे एवं रैगिंग में संलिप्त नहीं पाए जायेंगे। उक्त की अवेहलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

- प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषयों के परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।

- विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/संकायाध्यक्ष द्वारा संस्तुत किये जाएंगे। प्रवेश सम्बन्धी अन्तिम निर्णय प्राचार्य का होगा। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय हेतु निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश दिये जा सकेंगे।

- विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल अन्तिम तिथि के बाद स्वतः लॉक हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय एवं शासन का होगा।

- ऑनलाइन माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय महाविद्यालय ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाणपत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

- प्रवेशप्रदत्त किसी भी विद्यार्थी ने यदि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय संकाय में जमा नहीं किया तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है –

1.	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3.	अन्य पिछडा वर्ग	14 प्रतिशत
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट :– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

1.	महिलाएँ	30 प्रतिशत
2.	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3.	दिव्यांग	05 प्रतिशत
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त

प्रतिशत के साथ अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है। प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर रिक्त सीट होने पर दिये जायेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएँगी :–

- Extension in date of admission upto 30 days
- Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum elligibility requirement.
- Waiving of domicile requirements.
- स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा :–

(क) एन0सी0सी0 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी –
25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर) 20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन –20 अंक
(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन –
तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन –
20अंक
(ड) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यताप्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर –
50अंक
(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर –
40अंक
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर –
30 अंक
(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यताप्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर –
25अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यताप्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर –
25अंक
(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यताप्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता
25अंक

(ट) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर 20अंक

(ठ) अन्तरमहाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15अंक

4. नोट :– उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यार्थियों को अधिकतम 50 अंको का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यताधारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंको का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोडा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

- श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) व सी0सी0 के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

- प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

- अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्थाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में उपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. वैधानिक नियन्त्रण :– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा। महाविद्यालयों हेतु निम्न तालिका में उपलब्ध विषयों के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है –

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक्–पृथक् समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय–III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूह से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4

क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा।

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु :

महाविद्यालय में किसी एक ग्रुप से कोई दो विषय मेजर विषय के रूप में लिए जायेगे और किसी भी अन्य ग्रुप से एक मेजर इलेक्टिव ग्रुप का चयन किया जाएगा

Group A	Group B	Group C
अंग्रेजी साहित्य	राजनीति विज्ञान	शिक्षा शास्त्र
हिंदी साहित्य	इतिहास	गृह विज्ञान
संस्कृत साहित्य	अर्थशास्त्र	मानव विज्ञान

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

गणित समूह (Mathematics Group)		
Group A	Group B	Group C
गणित	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान

बायो ग्रुप (बायो Group)		
Group A	Group B	Group C
वनस्पति विज्ञान	जन्तु विज्ञान	रसायन विज्ञान मानव विज्ञान

वाणिज्य संकाय (Bachelor of Commerce (B.Com.) हेतु

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting (Major Core Own Faculty)	Business Regulatory Frame Work (Major Core Own Faculty	Business Organization and Management

6. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विशेष नियम :–

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक डिग्री होगी। स्नातकोत्तर कक्षाओं(एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम0) में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनम (बी0ए0–40प्रतिशत तथा बी0एस0सी0–45प्रतिशत)प्राप्तांक आवश्यक है। एम0ए0में किसी भी विषय में प्रवेश बी0ए0 के किसी एक विषय के आधार पर होगा। एम0कॉम0 के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वाणिज्य संकाय की परीक्षा (बी0कॉम0) न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो और अन्य संकाय से बी0ए0 अर्थशास्त्र के साथ व बी0एस–सी0 गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (एम0कॉम0) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आर्हय माने जायेंगे।

7. छात्र गणवेश (Student Uniform code) :-

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिए गणवेश (Dress Code) निर्धारित है। सभी संस्थागत छात्र/छात्राएं 'कॉलेज यूनिफॉर्म' धारण कर ही महाविद्यालय परिसर एवं कक्षा में प्रवेश करें। विस्तृत विवरण हेतु महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवश्य देखते रहें।

छात्र विवरणिका

8. शुल्क एवं उसका भुगतान (Fee and Mode of Payment)

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी द्वारा राज्य निधि एवं महाविद्यालय छात्र निधि के अन्तर्गत पूरे सत्र का निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षा शुल्क प्रति सेमेस्टर अलग से देय होगा।

9. छात्रवृत्ति(Scholarship)

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जो छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती हैं, निम्नलिखित हैं :–

- **अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति/पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति :** माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू 2.50 लाख से अधिक न होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु तथा रू 1.00 लाख से अधिक न होने पर पिछड़ी जाति हेतु स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में छात्रवृत्ति शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार देय है।

- **भूतपूर्व सैनिक छात्रवृत्ति :** उक्त छात्रवृत्ति सम्बन्धित जिले के सैनिक एवं पुनर्वास कार्यालय से आवेदन प्राप्त किए जाने पर प्रदत्त होती है।

- **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छात्रवृत्ति :** यह छात्रवृत्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या अश्रितों के लिए है। इसके लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर शैक्षणिक सत्र में 10 अगस्त तक प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया जाना आवश्यक है।

- **दिव्यांग छात्रवृत्ति :** दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर सभी दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग से देय होती है।

- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :** यह छात्रवृत्ति इण्टरमीडिएट परीक्षा के आधार पर दी जाती है, स्नातक स्तर पर रू0 75.00 प्रतिमाह है। छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु आवश्यक प्रगति आख्या भरकर प्राचार्य से प्रमाणित करा कर अंकपत्र, जिसमें 50 प्रतिशत से कम अंक न हों, के साथ 31 जुलाई तक उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी को प्रेषित किया जाता है।

- **निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष (Poor Student' Fund) :** ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राएँ जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता न मिल पाई हो, वे संयोजक छात्र कल्याण परिषद् के पास इस कोष से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

  शासनादेश सं– 2097/XVII-4/2014 दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों को त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 से 'ऑनलाइन' छात्रवृति की योजना लागू कर दी गई है, जिसमें समाजकल्याण विभाग की वेबसाइट **wwww.scholarship.uk.go.in** पर छात्र/छात्र को अपना पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र को उसके भविष्य के लिए अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु एक यूजर आई.डी.एवं पासवर्ड एस.एम.एस./ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होगा। इस प्राप्त हुए यूजर आई.डी. से छात्र कहीं से भी नियत अन्तिम तिथि से पहले अपने शिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस हेतु नवीतम पासपोर्ट साइज फोटो, मूलनिवास प्रमाणपत्र, बैंक की पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति जिसमें बैंक एकाउण्ट नम्बर एवं बैंक का IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो, उसे अपलोड करना आवश्यक होगा। सम्बन्धित छात्र ऑनलाइन फीड

किए गये आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर अपने सन्दर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकता है। छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की गलत जानकारी देने अथवा फर्जी पाये जाने पर उनके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्यवाही की जाएगी। छात्र/छात्रा को नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र सॉफ्टवेयर में फीड नहीं किये जा सकेंगे।

नोट : उक्त सभी छात्रवृत्तियाँ एवं छात्रवत्ति अनुदान शासनादेशों के अनुरूप परिवर्तनीय हैं।

10. उपस्थिति नियम (Rules of Attendance)

शासनादेश संख्या 528(1) 15– (उ.शि.) 71/97 दिनांक 11 जून 1917 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है। निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है –

(अ) विद्यार्थी की लम्बी और गंभीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अंदर विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो।

(ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष स्थिति में समुचित कारण देने पर।

(स) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद, सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स–रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रमाणपत्र उपस्थिति न्यूनता परिमार्जन भर दिया जाएगा, बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो। नोट :– प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2023– 23 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा, बल्कि एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद, सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स–रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती से वंचित कर दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किए जाएँगे तथा साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं करने दिया जाएगा।

इस आ**श**य का **श**पथ पत्र भी अभ्यर्थियों को देना होगा। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जाएगा।

11. महाविद्यालय पुस्तकालय (College Library)

महाविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में 18446 पाठ्यक्रम पुस्तकें तथा सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय कार्यदिवसों पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुला रहता है। छात्र/छात्राओं को पुस्तकें प्राप्त करने के लिए नियमानुसार तिथि निर्धारित की जाती हैं और उन्हीं दिवसों में पुस्तकें निर्गत की जाती हैं।

- सन्दर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होंगी। सन्दर्भ ग्रन्थों की संख्या 750 है।
- पुस्तकों को सुरक्षित द**शा** में रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले छात्र/छात्रा की होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाए, खो जाए अथवा किसी भॉति नष्ट हो जाए तो पुस्तकधारी छात्र/छात्रा को नई पुस्तक लौटानी होगी अथवा उसके मूल्य का डेढ़ गुना धनराशि जमा करनी होगी।
- परीक्षा से पूर्व पुस्तकों को लौटाना अनिवार्य है। नियत तिथि तक पुस्तक न लौटाने पर निर्धारित अर्थदण्ड देय होगा।
- महाविद्यालय में ई–पुस्तकालय का कार्य गतिमान है।

12.वाचनालय (Reading Room)

छात्र/छात्राओं के लिए दैनिक समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिकाएं पढ़ने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है कि कक्षाओं में अध्ययन से इतर समय पर पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्वि करते रहें।

13. महाविद्यालय पत्रिका (College Magazine)

महाविद्यालय में पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना है। छात्र/छात्राएं अपनी स्व–निर्मित रचनाओं को प्रकाशन हेतु पत्रिका के सम्पादक मण्डल को हस्तगत करें। साथ ही, सम्पादक मण्डल से रचना, लेख आदि के लिए उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त कर लें। सम्पादक मण्डल द्वारा चयनित उत्कृष्ट लेखों को प्रकाशित किया जाएगा।

14. कैरियर काउन्सिलिंग

वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा के दौर में विद्यार्थियों में दक्षता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने तथा रोजगारपरक सूचनाएँ प्रदान करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक काउन्सिलिंग कॅरियर एण्ड प्लेसमेण्ट सेल की स्थापना की गई है। काउन्सिलिंग कॅरियर एण्ड प्लेसमेण्ट सेल के द्वारा समय–समय पर कैरियर सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इच्छुक विद्यार्थी इस काउन्सिलिंग कॅरियर एण्ड प्लेसमेण्ट सेल में अन्य दिनों में भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

15. पूर्व छात्र परिषद (Alumni Association)

महाविद्यालय के विकास में भूतपूर्व छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद गठित की गई है। अभी इस परिषद का पंजीकरण कराया जाना है। एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बडे भाई/बहन/अभिभावक इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हों तो उनकी सूचना महाविद्यालय को उपलब्ध कराएँ।

16. अभिभावक–शिक्षक परिषद (Parent &Teacher Association)

महाविद्यालय के विकास में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय में अभिभावक–शिक्षक परिषद गठित की जाती है। इस परिषद में प्राचार्य अध्यक्ष, वरिष्ठ प्राध्यापक सचिव तथा अभिभावकों में से उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जाता है। अभिभावक–शिक्षक परिषद की बैठकें समय–समय पर सम्पादित की जाती हैं।

17. महिला प्रकोष्ठ (Women Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख–रेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता है।

18. अनुशासन एवं शास्ता मण्डल (Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ **शै**क्षिक वातारण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। **शा**स्ता मण्डल का संयोजक मुख्य**शा**स्ता होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु **शा**स्ता सदस्य होते हैं।

महाविद्यालय के शास्ता मण्डल द्वारा निम्नलिखित कृत्यों आदि में संलिप्त पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी –

- महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का वचन एवं कर्म द्वारा अनादर करना।
- महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं अनादर प्रदर्शित करना।
- कक्षाओं में शिक्षण कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करना।
- वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
- ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्तिव्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे, हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
- रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।)
- परिसर में किसी राजनीति या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार –प्रसार या प्रद**र्शन** करना।
- जाली हस्ताक्षर, झूठा बयान प्रस्तुत करना।
- शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इंकार करना।
- महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
- महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना, गन्दा करना या उन पर विज्ञापन/इश्तहार लगाना।

- महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचने /क्षति पहुँचाने का प्रयास करना।
- महाविद्यालय परिसर में झगड़ा–मारपीट करना, शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे विरूपित करना।
- कक्षाओं में च्युइंगम, पान मसाला, मोबाईल फोन का प्रयोग करना।
- महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र माँगने पर देने से इन्कार करना।
- जो भी विद्यार्थी उक्त निशेधाज्ञा का उल्लंधन करेगा उसको निलंबित, अर्थदण्डित अथवा निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

19. अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम (Important Conduct Rules)

- एक छात्र के पास परिचयपत्र का होना आवश्यक है, जिसे परिसर में कभी भी माँगा जा सकता है। परिचयपत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचयपत्र मुख्य शास्ता/कार्यालय से प्राप्त कर लें।
- महाविद्यालय परिसर में रैगिंग (किसी भी रूप में) पूर्णतया प्रतिबन्धित है। रैगिंग में संलिप्तता की दशा में कठोरतम कार्रवाई, भारी जुर्माना तथा न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
- जिन छात्रों की गतिविधियाँ शास्ता मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है अथवा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जाएगा। ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
- दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

20. रैगिंग–एक कानूनी अपराध (Ragging –A Legal Offence)

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या 310/04/एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एण्टी रैगिंग समिति एवं एन्टी रैगिंग दस्ता गठित है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोर कार्रवाई हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है। रैगिंग में संलिप्त होने की दशा में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

21. पाठ्य–सहगामी क्रियाकलाप

(अ) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

""मैं नहीं परन्तु आप""(Not Me,But You) की भावना पर आधारित राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियाँ संचालित होती हैं, जैसे शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यदि) के लिए कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम।

वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाई कार्यरत हैं, जिसके तहत 200 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घण्टे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक 07 दिवसीय विशेष शिविर (ए प्रमाणपत्र) एवं 05 एकदिवसीय शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की बी एवं सी प्रमाणपत्रों की परीक्षाएँ भी आयोजित होती हैं, जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जाता है।

(ब) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

राष्ट्रीय कैडेट कोर एक युवा संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1948 में युवाओं में नेतृत्व और देशभक्ति के मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका आदर्श वाक्य "**एकता और अनुशासन""** है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर की दो इकाई कार्यरत हैं।

(स) रोवर्स–रेंजर्स (Rovers-Rangers)

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक समरसता, जनचेतना, दक्षता एवं सेवाभाव विकसित करने के लिए भारत स्काउट–गाइड, उत्तराखण्ट संगठन के निर्देशन में महाविद्यालय में रोवर्स–रेंजर्स की इकाई स्थापित है। इसके तहत समय–समय पर स्थानीय, प्रादेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन होता है जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र–छात्राएं प्रतिभाग करते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उप–राष्ट्रपति पदक, प्रमाणपत्र सहित प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाणपत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित हैं।

(द) क्रीड़ा एवं खेलकूद (Sports and Games)

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ–साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके लिए पूरे सत्र के दौरान कीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर उन्हें विभिन्न अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में क्रीड़ा एवं खेलकूद के अन्तर्गत एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, वॉलीबॉल एवं शतरंज की सुविधा उपलब्ध हैं।

(य) छात्रसंघ (Student Union)

छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश संख्या S.L. P.(Civi)No24295/2004 दिनांक 26.06.2004 जो भारत सरकार के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/XXIV(6)2007–3(168)/2001 दिनांक 27.02.2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व–वित्तपोषित संस्थानों पर लागू करने के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्पन्न कराए जाएँगे।

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से 6 सप्ताह के अन्तर्गत संस्थागत स्तर पर छात्रसंघ चुनाव करवाया जाना आवश्यक होगा। सभी स्तरों के छात्र निकायों पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक कक्षाओं तक 17 से 22 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी, पदाधिकारी निर्वाचित होने पर केवल 1 बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने पर 2 बार चुनाव लड़ सकेगा । निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात प्राचार्य द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। चुनाव आचार संहिता,

आयु–सीमा एवं व्यवस्थायें लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होगी। साथ ही, छात्रसंघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को विधिसम्मत ढंग से पदच्युत भी किया जा सकता है।

(र) सांस्कृतिक परिषद(Cultural Council)

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं में सन्निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने एवं संवर्द्धन करने तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक–साहित्यिक आयोजनों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता, सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक परिषद गठित है। इच्छुक छात्र/छात्राएँ सांस्कृतिक क्लब की सदस्यता अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

(ल) विभागीय परिषदें (Departmental Council)

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करेंगे। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक, सह–शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ–साथ भ्रमण आदि का आयोजन करेंगे। अन्तर्विभागीय प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती हैं।

22. अन्य नियम

(अ) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate)

स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना आवश्यक है। महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (स्थाई चरित्र प्रमाणपत्र सहित) देय होगा।

(ब) चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate)

संस्थागत छात्रों को चरित्र प्रमाणपत्र आवेदन के उपरान्त मुख्य शास्ता की संस्तुति के पश्चात दिया जाता है। यदि किसी छात्र को चरित्र प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति की आवश्यकता हो, तो वह 06 महीने के अन्तराल पर ही निर्गत किया जा सकता है। अतः छात्रों को चरित्र प्रमाणपत्र की सत्य प्रतिलिपियों का प्रयोग करना चाहिए।

(स) परिचय पत्र (Identity Card)

प्रत्येक छात्र–छात्रा द्वारा महाविद्यालय से निर्गत परिचयपत्र की सुरक्षा करना अनिवार्य है। महाविद्यालय में हर समय छात्र के पास परिचयपत्र उपलब्ध रहना चाहिए ।

(द) शुल्क रसीद (Fee Receipt)

छात्र/छात्रा द्वारा प्रवेश के पश्चात सम्पूर्ण सत्र के दौरान अपनी फीस की रसीद को संभालकर रखना अनिवार्य होगा ।

(य) महाविद्यालय विविध–आवेदन पत्र (Miscellaneous Application Forms)

महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के आवेदनपत्र एवं परीक्षा आवेदनपत्र आदि नियत समय पर छात्र–छात्रा के द्वारा स्वयं देने पर ही स्वीकार किये जायेंगे और मान्य होंगे।

नोट–इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन–संशोधन का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा। नये शासनादेश के प्राप्त होने पर तदनुसार नियमों/निर्देशों में संशोधन कर दिये जायेंगे।

23. वार्षिक शुल्क विवरण (Annual Fee Details)

स्नातक स्तर

क0सं0	स्नातक स्तर	प्रयोगात्मक/अप्रयोगात्मक शुल्क	कोषागार शुल्क	छात्र निधियॉ शुल्क	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	स्नातक	अप्रयोगात्मक शुल्क	271	955	1226
		प्रयोगात्मक शुल्क	511	1015	1526 (01प्रयो0)
			511	1075	1586 (02प्रयो0)
			511	1135	1646 (03प्रयो0)

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी / प्राध्यापकगण / कर्मचारीगण सूची

प्राचार्य – **प्रो0 (डॉ0) गोविन्द राम सेमवाल**

प्राध्यापक गण

भौतिक विज्ञान विभाग

- डॉ0 विनोद सिंह — असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 योगेश प्रसाद — असिस्टेंट प्रोफेसर
- रिक्त

रसायन विज्ञान विभाग

- डॉ0 श्रीमती रुचि बडोनी सेमवाल — (नितान्त अस्थाई प्रवक्ता)
- रिक्त
- रिक्त

गणित विभाग

- डॉ0 रोशन लाल केष्टवाल — एसोसिऐट प्रोफेसर
- डॉ0 परवेज आलम — असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 श्वेता पाण्डेय पाण्ड़े — (नितान्त अस्थाई प्रवक्ता)

वनस्पति विज्ञान विभाग

- डॉ0 राखी डिमरी — एसोसिऐट प्रोफेसर
- डॉ0 प्रेम सिंह चौहान — (संविदा प्रवक्ता)

जन्तु विज्ञान विभाग

- डॉ0 दलीप कुमार भाटिया — असिस्टेंट प्रोफेसर

गृह विज्ञान विभाग

- डॉ0 पूजा पालीवाल — असिस्टेंट प्रोफेसर

मानव विज्ञान विभाग

- डॉ0 खुशीकान्त बंगवाल (संविदा प्रवक्ता)

वणिज्य विभाग

- डॉ0 पूजा राठौर असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद बडौनी असिस्टेंट प्रोफेसर
- रिक्त

हिन्दी विभाग

- प्रो0 (डॉ0) अरविन्द कुमार अवस्थी प्रोफेसर
- डॉ0 नीलम ध्यानी असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 मंजू गौतम असिस्टेंट प्रोफेसर

संस्कृत विभाग

- प्रो0 (डॉ0) राधेश्याम गंगवार प्रोफेसर
- डॉ0 मनोरथ प्रसाद नौगाईं (नितान्त अस्थाई प्रवक्ता)

राजनीति विज्ञान विभाग

- डॉ0 राजकुमारी भण्डारी असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 अमित गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 सुनील सिंह (नितान्त अस्थाई प्रवक्ता)

अंग्रेजी विभाग

- डॉ0 दीप्ति बगवाडी असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 माधुरी रावत असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 सीमा पुण्डीर असिस्टेंट प्रोफेसर

इतिहास विभाग

- डॉ0 राकेश मोहन नौटियाल असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 विजय बहुगुणा असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 अविनाश भट्ट असिस्टेंट प्रोफेसर

अर्थशास्त्र विभाग

- डॉ0 हरीश चन्द्र — असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षा शास्त्र विभाग

- डॉ0 निरंजन कुमार प्रजापति — असिस्टेंट प्रोफेसर
- डॉ0 अशोक कुमार — असिस्टेंट प्रोफेसर

बी0एड0 विभाग

- डॉ0 रुचि बहुखण्डी — विभागाध्यक्ष
- श्रीमती प्रिन्सी कर्णवाल — संविदा प्रवक्ता वाणिज्य
- कु0 कविता बडोला — संविदा प्रवक्ता अंग्रेजी
- श्री अभिषेक गौड़ — नितान्त अस्थाई जीव विज्ञान
- श्रीमती दीपमाला — नितान्त अस्थाई भौतिक
- जनार्दन नौगाईं — नितान्त अस्थाई हिन्दी
- श्री बिमल डबराल — पुस्तकालयाध्यक्ष

पी0जी0 डिप्लोमा इन योगिक साइंस

- श्री अमित नेगी — गैस्ट फैकल्टी
- कु0 पूजा — गैस्ट फैकल्टी
- श्री अनुज जोशी — गैस्ट फैकल्टी

पी0जी0 डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन, स्ववित्तपोषित

- श्री रेखा खत्री — गैस्ट फैकल्टी

बी0बी0ए0, स्ववित्तपोषित

- श्रीमती भावना गर्ग — गैस्ट फैकल्टी
- श्रीमती रीना ठाकुर — गैस्ट फैकल्टी
- श्रीमती दीपा राणा — गैस्ट फैकल्टी

कर्मचारी गण

- श्री मनमोहन सिंह — मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
- श्री थान सिंह — कनिष्ठ सहायक
- श्रीमती मीनाक्षी शर्मा — सहा0 पुस्तकालयाध्यक्ष
- श्री राजेश कुमार — इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक
- श्री पंकज कुमार — प्रयोगशाला सहायक
- श्रीमती सोनी डिमरी — प्रयोगशाला सहायक
- श्रीमती अंजली देवी — प्रयोगशाला सहायक
- श्रीमती नीतू चौहान — प्रयोगशाला सहायक
- श्रीमती पूनम गांधीयान — प्रयोगशाला सहायक
- श्री सुधीर रावत — प्रयोगशाला परिचारक
- श्री सुनील कुमार मैठाणी — कार्यालय परिचारक

उपनल कर्मचारी गण

- श्री अरविन्द सिंह नेगी — प्रयोगशाला सहायक
- श्री बलबीर सिंह पंवार — प्रयोगशाला सहायक
- श्री दीपक भट्ट — बुक लिफटर
- श्री चैतराम चौहान — प्रयोगशाला परिचारक
- श्री खजान सिंह — प्रयोगशाला अनुसेवक
- श्री सचिन कुमार — कार्यालय अनुसेवक
- श्री दीपक बिष्ट — प्रयोगशाला परिचारक
- श्री जय भगवान — प्रयोगशाला परिचारक
- श्री महावीर कुमार — रात्रि चौकीदार
- श्री रतन लाल गोदियाल — चौकीदार
- श्रीमती सविता — स्वच्छक

उपनल कर्मचारी बी0एड0विभाग

- श्री अशोक सिंह कण्डारी — सहायक लेखाकार
- श्रीमती शीतल तोमर — डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
- श्रीमती अनिता पंवार — स्टोर कीपर

Prospectus committee

1- Dr Pooja Rathore
2- Dr Yogesh Bhatt
3- Dr Vijay Bahuguna
4- Shri Ashok Singh Kandari.
5- Shri Balbeer Singh Panwar
6- Smt. Anita Panwar

छात्र–छात्राओं के लिए अनुपालनीय निर्देश एवं नियम :–

- समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत होने के लिए छात्र–छात्राएँ सूचनापट्ट पर अंकित सूचनाएँ नियमित रूप से पढ़ें। छात्र–छात्राएँ सूचनापट्ट पर लगी सूचनाओं को कदापि न फाड़ें, अन्यथा दण्ड के भागी बन सकते हैं।

- छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगे तथा महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हरसम्भव सहयोग देंगे।

- छात्र–छात्रा विभिन्न शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक क्रिया–कलापों के लिए सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

- महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अनिवार्य रूप से विद्यार्थी अपना परिचयपत्र साथ में रखें, अन्यथा महाविद्यालय परिसर व कक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

- विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन–पत्र निर्धारित उपस्थिति एवं शुल्क भुगतान किए जाने की दशा में ही अग्रसारित किया जाएगा।

- महाविद्यालय कार्यालय में जो भी धन जमा किया जाए, उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र–छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- शैक्षणिक कैलेण्डर प्रभावी हो जाने के उपरान्त महाविद्यालय समय–सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा ।

- शुल्क जमा करने के पश्चात सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखवाना छात्र–छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

- महाविद्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा गैर इरादतन की गई किसी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने हेतु कोई वाद अदालत में दायर नहीं किया जा सकेगा।

- स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश लेने के तुरन्त बाद एन0एस0एस0/एन0सी0सी0 अथवा रोवर्स–रेंजर्स में पंजीयन हेतु तत्सम्बधी अधिकारियों से सम्पर्क करें।
- महाविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसे आपराधिक कृत्य से सदैव बचे रहें।
- छात्र–छात्राओं की प्रवेशित विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

- मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाजविरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूँगा/लूँगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी, अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
- मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
- मै शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।
- मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
- यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती .....

जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं, तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर– पिता/अभिभावक